न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–138/2022

वादीया	प्रतिवादीगण
बनाम	
1. अणचाई बेवा नवलाराम माता नारायणलाल जाति सीरवी निवासी–राजपुत छात्रावास के पास, सिरवीयों का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली।	1. भीकाराम पुत्र जीवाराम 2. लक्ष्मणराम पुत्र पोकरराम 3. भैराराम पुत्र पोकरराम 4. कानाराम पुत्र पोकरराम 5. सोहनलाल पुत्र पोकरराम 6. तुलसीदेवी बेवा भोलाराम 7. भुण्डाराम पुत्र भोलाराम 8. सुखीया देवी पुत्री भोलाराम पत्नी मोहनलाल जातिगण सीरवी निवासीगण–राजपुत छात्रावास के पास, सिरवीयों का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली। 9. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 19/12/22

अधिवक्ता मय वादी ने यह वांद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, पटवार हल्का सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त वादस्थ कृषि वर्तमान खाता संख्या 1251 के खसरा नंबर 2600 से 2621, खसरा नंबर 2628 से 2630, खसरा नंबर 2632 से 2635, खसरा नंबर 2637 से 2640 कुल खसरा 34 कुल रकबा 5.7400 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 का 153/574 हिस्सा व वादीया का 153/2296 हिस्सा खातेदारी हक हकूक की आता है। कुशालराम पुत्र दीपाराम की वंशावली इस प्रकार है मालाराम, पन्नाराम पि0 कुशालराम (फौत) नवलाराम, भोलाराम पि0 मालाराम (फौत), जीवाराम, पोकरराम पि0 पन्नाराम (फौत), नारायणलाल पुत्र नवलाराम(फौत), अणचाई बेवा नवलाराम, तुलसी देवी पत्नी भोलाराम, भुण्डाराम पुत्र भोलाराम, सुखीया देवी पुत्री भोलाराम, भीकाराम पुत्र जीवाराम, लक्ष्मणराम, भैराराम, कानाराम, सोहनलाल पुत्र पोकरराम थे। नवलाराम के एकमात्र पुत्र नारायणलाल हुआ जो कि लाऔलाद फौत हो गये। नवलाराम के एकमात्र विधिक उतराधिकारी पूर्व में बतौर पत्नी नवलाराम के रेवेन्यू रेकर्ड

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

में फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय इन्द्राज नहीं हो पाया। जिनकी प्रथम श्रेणी विधिक उतराधिकारी वादीया हैं। वादीया वादस्थ कृषि जोत की भूमि पर उसके पति नवलाराम पुत्र मालाराम की मृत्यु के पश्चात् से ही काबिज काश्त है एवं वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। वादीया को रेवेन्यू काम होने से अपने परिवारजन से ऑनलाईन दिनांक 14.06.2022 को जमाबंदी निकलवायी तब वादीया को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में बतौर खातेदार उसका कहीं भी नाम इन्द्राज नहीं है। रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में वादीया के पति की मृत्यु के पश्चात सीधे ही उनके पुत्र नारायणलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पति की पैतृक सम्पति में पत्नी का भी अन्य वारिसानों के बराबर हक हिस्सा होता है। वादीया के पुत्र की भी दिनांक 13.01.1975 को लाऔलाद निंवसीयती मृत्यु हो चुकी है। इसलिये वादीया आज की तारीख में नवलाराम पुत्र मालाराम की एकमात्र विधिक वारिसान है। वादीया द्वारा रेवेन्यू रेकर्ड में जमाबंदी में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु पटवार हल्का सोजत चक प्रथम से संपर्क किया तब वादीया को ज्ञात हुआ कि रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में वादीया के पुत्र का नाम नारायणलाल पुत्र नवलाराम के स्थान पर उसकी वल्दीयत सहवन से राजस्व रेकर्ड में परिवर्तित करते हुए नारायणलाल पुत्र सांवलराम कर दिया गया। जबकि वादीया द्वारा दिनांक 07.07.2022 को रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी व खसरा मिलान निकलवाया गया तो ज्ञात हुआ कि खसरा मिलान में भी नारायणलाल पुत्र नवलाराम ही दर्ज है तथा रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में नवलाराम का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय सहवन से नवलाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र सांवलराम अंकित कर दिया गया था। इसलिये वादीया रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में गलत इन्द्राज हुई प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने व वादीया के पति व वादीया के पुत्र के एकमात्र विधिक वारिसान होने की हैसियत से बतौर खातेदार उनके हक हिस्से पर स्वयं को घोषित करवाने की अधिकारिणी है। तद्र्थ उपरोक्त वाद बाबत् खातेदारी दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का न्यायालय हाजा में पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खाता संख्या 1251 के खसरा नंबर 2600 से 2621, खसरा नंबर 2628 से 2630, खसरा नंबर 2632 से 2635, खसरा नंबर 2637 से 2640 कुल खसरा 34 कुल रकबा 5.7400 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज नारायणलाल पुत्र सांवलराम के स्थान पर अणचाई पत्नी नवलाराम के नाम से खातेदार घोषित जाकर राजस्व रेकर्ड में नारायणलाल पुत्र सांवलराम के स्थान पर वादीया के नाम से दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादीया ने माफिक दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को बावजूद तामिली सूचना बार-बार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 13.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादीया स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा मिलान वर्ष 2028 से 29 प्रदर्श 1 से 13 पेश किये जिसमें प्रदर्श EXP -7 पर X स्थान पर वादीया के पति नारायणलाल की वल्दियत नवलाराम दर्ज है। किन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात बनी जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 EXP -7 में नारायणलाल की वल्दियत सावलराम दर्ज कर दी गई जो पश्चातवर्ती जमाबन्दी में आज तक यथावत रही है। वादीया के पुत्र का देहान्त हो चुका है जो कि EXP - 20 A मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त EXP - 15 जमाबन्दी सम्वत 2050 से 53 है, EXP - 16 जमाबन्दी सम्वत 2054 से 57 है, EXP - 17 जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 है, EXP - 18 जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादीया सुनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादीया वादस्थ कृषि जोत की भूमि पर उसके पति नवलाराम पुत्र मालाराम की मृत्यु के पश्चात् से ही काबिज काश्त है एवं वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। वादीया को रेवेन्यू काम होने से अपने परिवारजंन से ऑनलाईन दिनांक 14.06.2022 को जमाबंदी निकलवायी तब वादीया को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में बतौर खातेदार उसका कहीं भी नाम इन्द्राज नहीं है। रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में वादीया के पति की मृत्यु के पश्चात सीधे ही उनके पुत्र नारायणलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पति की पैतृक सम्पति में पत्नी का भी अन्य वारिसानों के बराबर हक हिस्सा होता है। वादीया के पुत्र की भी दिनांक 13.01.1975 को लाऔलाद र्निवसीयती मृत्यु हो चुकी है। इसलिये वादीया आज की तारीख में नवलाराम पुत्र मालाराम की एकमात्र विधिक वारिसान है। जिससे वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा मिलान के प्रदर्श–7 में वादिया के पुत्र नारायण पुत्र नवलाराम अंकित हैं। उक्त खसरा मिलान पर के X स्थान पर वादीया के ससुर नारायणलाल की वल्दियत नवलाराम दर्ज है। किन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात बनी जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 EXP -7 में नारायणलाल की वल्दियत सावलराम दर्ज कर दी गई जो पश्चातवर्ती जमाबन्दी में आज तक यथावत है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक व पुश्तैनी भूमि में पत्नि, पुत्र व पुत्रियों का समान अधिकार होता है। वादिया के पति के देहान्त के पश्चात पुत्र पत्नि व जायन्दा पुत्र नारायणलाल को नोशनल शेयर के अनुसार फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था जो कि नही किया

उप खण्ड अधिकारी
भोजत (जिला-पाली) रा.

गया। वादीया के पुत्र का देहान्त हो चुका है जो कि EXP - 20 A से स्पष्ट होता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद उसकी ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार वादिया का एक मात्र पुत्र नारायणलाल ला– आलौद फौत हुआ है। जिससे वादिया के पति के अन्य कोई वारिस नही होने तथा वादिया का पुत्र नारायणलाल भी लाऔलाद फौत होने से वादिया को वादस्थ भूमि में नारायणलाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 1251 के खसरा नंबर 2600 से 2621, खसरा नंबर 2628 से 2630, खसरा नंबर 2632 से 2635, खसरा नंबर 2637 से 2640 कुल खसरा 34 कुल रकबा 5.7400 हैक्टर में दर्ज नारायणलाल पुत्र सांवलराम के स्थान पर अणचाई पत्नी नवलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादीया

1. अणचाई बेवा नवलाराम माता नारायणलाल जाति सीरवी निवासी–राजपुत छात्रावास के पास, सिरवीयों का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीकाराम पुत्र जीवाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र पोकरराम
3. भैराराम पुत्र पोकरराम
4. कानाराम पुत्र पोकरराम
5. सोहनलाल पुत्र पोकरराम
6. तुलसीदेवी बेवा भोलाराम
7. भुण्डाराम पुत्र भोलाराम
8. सुखीया देवी पुत्री भोलाराम पत्नी मोहनलाल जातिगण सीरवी निवासीगण–राजपुत छात्रावास के पास, सिरवीयों का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली।
9. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 138/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 1251 के खसरा नंबर 2600 से 2621, खसरा नंबर 2628 से 2630, खसरा नंबर 2632 से 2635, खसरा नंबर 2637 से 2640 कुल खसरा 34 कुल रकबा 5.7400 हैक्टर में दर्ज नारायणलाल पुत्र सांवलराम के स्थान पर अणचाई पत्नी नवलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलियाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/12/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			